

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

मिसल नं० 672  
अन्तर्गत धारा 111-128 आरटीए

निर्णय दिनांक-22-06-18

:: निर्णय ::

प्रार्थी श्री माधवलाल पिठ धानजी

जति शील उग्र कमल तहसील डूंगरपुर ने न्याय आपके द्वार अभियान 2018 लोक  
अदालत मेताल दिनांक 22-06-18 को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा  
111, 128 ले0र0एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा मेताल पंचायत समिति  
डूंगरपुर में स्थित खाता संख्या 262 पर आराजी नं० 1839/581 कुल 7 बीघा  
बिस्वा किता 1 योग रकबा 7 बिघा पर प्रार्थी मालिक काबिज होकर कृषि  
कास्त करता आ रहा है और अप्रार्थीगण से आये दिन सीमा (हेडे, पारी) की बात को लेकर विवाद  
होता है। करते है और लडाईं झगडा करते है। इस वजह से प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर  
पत्थरगढी कराना चाहता है। जिस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के  
साथ अप्रार्थी पनजादि, विरज ति० 21/06/18 ने भी पत्थरगढी करने की सहमति दी है।  
प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम मेताल के खसरा नं० 1838 रकबा 5  
बीघा 1 बिस्वा कुल किता 1 योग रकबा 5 बिघा की जमाबंदी समेत  
की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की है।

पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी  
प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रार्थी खातेदार कास्तकार है ओर विपक्षीगणों द्वारा किसी प्रकार का  
कोई विरोध नहीं किया गया एवं सहमति प्रदान की गई है। इस प्रकार मौजा मेताल में स्थित  
खाता संख्या 262 पर आराजी नं० 1839/581 रकबा 7 बिघा कुल किता 1  
कुल रकबा 7 बिघा की पत्थर गढी कराने का हकदार है।

लिहाजा मौजा मेताल ने स्थित खाता संख्या 262 पर आराजी नं० 1839/581  
रकबा 7 बिघा कुल किता 1 कुल रकबा 7 बिघा विवादग्रस्त  
आराजी की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदा, डूंगरपुर नू०अ० निरीक्षक डा० मेरिया  
के नेतृत्व में टीम गठीत कर बिना किसी अन्य खातेदार के खाते को डिस्टर्ब किये पत्थर गढी  
की जाये। तहसीलदार, डूंगरपुर को तहरीर जारी हो पत्थरगढी शुल्क रू० 1520 प्रार्थी स्वयं  
राजकोष में जमा करावे तभी पत्थरगढी की जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी

डूंगरपुर